न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,संख्या–01, केकड़ी.

(अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : रमेश कुमार करोल (आर.जे.एस.)

आपराधिक नियमित प्रकरण संख्या : 433/2021

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 25/2020

सी.आई.एस. संख्या : 247/2021

राजस्थान राज्य

–अभियोजन

बनाम

रघुनाथ सिंह पुत्र सरवर सिंह निवासी भराई पुलिस थाना केकड़ी जिला अजमेर

–अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित:

1. अभियोजन अधिकारी, वास्ते राज्य।
2. श्री उम्मेद सिंह, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त

निर्णय **दिनांक– 25 मार्च, 2026**

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी ओमेश कुमार ने एक तहरीरी रिपोर्ट पुलिस थाना केकड़ी में इस आशय की पेश की कि आज दिनांक 22.01.2020 को वह एवं उसकी काकी सुरज्ञान मोटरसाइकिल संख्या आर जे 48 एससी 0514 से केकड़ी कपड़े लेने के लिये समय करीब 1.30 पी.एम. पर कादेड़ा से रवाना हुए। मोटरसाइकिल के पीछे उसकी काकी बैठी हुई थी। कादेडा से रवाना होकर शेषपुरा से आगे तालाब के पास पहुंचे कि सामने से एक ट्रक चालक ट्रक संख्या आर जे 06 जी 5584 को तेजगति एवं लापरवाही से चलाते हुए आया एवं गलत साइड से आकर उनके टक्कर मारी, जिससे उसने बचाने की कोशिश की तो उसकी काकी गिर गई, जिसे ट्रक वाले

ने कुचल दिया और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके साइड में होने से उसके एवं मोटरसाइकिल के कोई चोट नहीं लगी। ट्रक चालक ट्रक को मौके पर ही छोड़कर भाग गया। उसी समय उनके गांव के अब्दुल सत्तार व कमलेश उनके पीछे मोटरसाइकल से आ रहे थे, जिन्होंने उन्हें सम्भाला। उक्त दुर्घटना ट्रक चालक के गफलत एवं लापरवाही से हुई है.....आदि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना केकड़ी द्वारा नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 25/20 में दर्ज किया जाकर अनुसंधान आरम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.सं. प्रमाणित पाये जाने पर आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 304ए भा.दं.सं. के तहत प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित आने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.सं. का आरोप मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोप सुन व समझकर अपराध अस्वीकार कर दिया एवं अन्वीक्षा चाही। एतद्द्वारा पत्रावली साक्ष्य अभियोजन के लिए नियत की गई।

3. दौराने साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा अपने समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी.ड. 1 ओमेश कुमार, गवाह पी.ड. 2 महेश कुमार, गवाह पी.ड. 3 कमलेश कुमार, गवाह पी.ड. 4 अब्दुल सत्तार, गवाह पी.ड. 5 सुरेश, पी.ड. 06 कैलाशचंद, पी.ड. 07 शिवकुमार, पी.ड. 08 हजारीलाल को न्यायालय में पेश कर परीक्षित करवाया एवं बतौर दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी–01 लगायत प्रदर्श पी– 26 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

4. अभियुक्त के कथन अंतर्गत धारा 313 सी.आर.पी.सी लेखबद्ध किए गए, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य को गलत बताते हुए स्वयं के निर्दोष होने व झूठा फंसाया जाने का कथन किया। बचाव पक्ष द्वारा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करने पर साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाकर पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत की गई।

5. **न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदू यह है कि:–**

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 22.01.2020 को समय करीब 1.30 पी.एम. पर शेषपुरा से आगे तालाब के पास वाहन ट्रक संख्या आर जे 06 जी 5584 को लोक मार्ग पर तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापित कारित किया और परिवादी एवं उसकी चाची सुरज्ञान, जो कि उस समय मोटरसाइकिल संख्या आर जे 48 एस.सी. 0514 पर सवार थे, के टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की। इस प्रकार सुरज्ञान की मृत्यु ऐसी परिस्थतियों में कारित हुई, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता है?

2. यदि हां, तो दण्ड की मात्रा क्या होगी ?

6. अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष कुल 08 गवाहों को पेश कर परीक्षित कराया गया है। जिसमें गवाह पी.ड. 01 परिवादी ओमेश कुमार ने अपने बयानों में कथन किया है कि दिनांक 22.01.2020 को वह अपनी काकी सुरज्ञान देवी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर कादेड़ा से केकड़ी आ रहे थे। जब वे शेषपुरा के पास पहुंचे तो सामने से ट्रक संख्या आर जे 06 जी 5584 का चालक ट्रक को तेजगति व लापरवाही से चलाता हुआ आया व रोंग साइड में आने से उसने मोटरसाइकिल को रोड से नीचे उतार ली तब उसकी काकी सुरज्ञान मोटरसाइकिल से नीचे गिर गई और ट्रक का चालक सुरज्ञान को रोंदता हुआ चला गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रदर्श पी 01 तहरीरी रिपोर्ट एवं प्रदर्श पी 02 नक्शा मौका है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष की जिरह में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि उक्त एफआईआर उसने सुरेश व महेश के कहे अनुसार लिखाई थी। यह कहना सही है कि वह ट्रक के नम्बर नहीं बता सकता एवं दुर्घटना किसकी गलती से हुई, यह वह नहीं बता सकता। गवाह ने हाजिर अदालत मुलजिम को नहीं पहचाना।

7. गवाह पी.ड. 02 महेश कुमार ने अपने बयानों में कथन किया है कि दिनांक 22.01.2020 को उनके घर पर कोई प्रोग्राम था। उस दिन उसकी पत्नी सुरज्ञान अपने भतीजे ओमेश के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर कादेड़ा से केकड़ी कपड़े लेने के लिये आ रहे थे। समय करीब डेढ दो बजे जब वे शेषपुरा तालाब के पास पहुंचे तो सामने से केकड़ी की तरफ से आ रहे ट्रक

संख्या आर जे 06 जी 5584 का चालक रघुनाथ ट्रक को तेजगति व लापरवाही से चलाता हुआ आया व रोंग साइड में आने से उसके भतीजे ने मोटरसाइकिल को रोड से नीचे उतार ली तब उसकी पत्नी मोटरसाइकिल से नीचे गिर गई और ट्रक का चालक सुरज्ञान को रोदता हुआ चला गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रदर्श पी 03 फर्द पंचायतनामा एवं प्रदर्श पी 04 लाश पंचनामा है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष की जिरह में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि उसके सामने दुर्घटना नहीं हुई। यह कहना भी सही है कि वह पहुंचा तब तक ट्रक चालक मौके से भाग गया था। यह कहना सही है कि वह रघुनाथ सिंह को नहीं जानता। उसे भीड़ ने बताया इस आधार पर उसने मुख्य परीक्षा में मुलजिम का नाम बताया है। वह मौके पर नहीं था इसलिये नहीं बता सकता कि किसकी गलती से एक्सीडेंट हुआ।

8. गवाह पी.ड. 03 कमलेश एवं पी.ड. 04 सत्तार ने अपने बयानों में कथन किया है कि दिनांक 22.01.20200 को समय दिन के करीब दो बजे शेषपुरा तलाई के पास उसन दिन ओमेश व उसकी चाची सुरज्ञान मोटरसाइकिल से केकड़ी की तरफ जा रहे थे तो सामने से एक ट्रक जिसके नम्बर आर जे 06 जी 5584 का चालक वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाता हुआ लाया एवं ओमेश ने अपनी मोटरसाइकिल को रोड़ से नीचे उतार ली तब सुरज्ञान उक्त मोटरसाइकिल से नीचे गिर गई तब ट्रक का टायर सुरज्ञान के उपर से निकल गया व मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। उक्त ट्रक का चालक कौन था, उसे पता नहीं। उसने चालक को नहीं देखा था। अभियोजन अधिकारी ने उक्त गवाहों को पक्षद्रोही घोषित किया है। जिरह में गवाह ने इस कथन को गलत बताया है कि उसने मौके पर उक्त ट्रक के चालक रघुनाथ को देखा हो। बचाव पक्ष की जिरह में गवाह ने कथन किया है कि जब एक्सीडेंट हुआ उसके दस मिनट बाद वे मौके पर पहुंचे थे।

9. गवाह पी.ड. 05 सुरेश ने भी अपने बयानों में कथन किया है कि समय दिन के करीब ग्यारह–बारह बजे शेषपुरा तलाई के पास ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, जो एक महिला का हुआ था। महिला बाईक पर सवार थी। ट्रक के नम्बर

उसे ध्यान नहीं है। दुर्घटना के समय वह मौके पर नहीं था इसलिये उसे पता नहीं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। ट्रक का चालक कौन था एवं एक्सीडेंट किसकी गलती से हुआ, उसे पता नहीं। अभियोजन अधिकारी की जिरह में गवाह ने कथन किया है कि जब वह मौके पर आया तब सुरज्ञान की मौत हो चुकी थी। यह कहना सही है कि उक्त दुर्घटना ट्रक से कारित हुई किंतु यह कहना गलत है कि उक्त दिनांक को ट्रक चालक रघुनाथ द्वारा उक्त दुर्घटना की गई हो। बचाव पक्ष की जिरह में गवाह ने कथन किया है कि जिस समय एक्सीडेंट हुआ, उसके करीब पन्द्रह मिनट बाद मौके पर पहुंचा।

10. गवाह पी.ड. 06 कैलाशचंद्र ने अपने बयानों में कथन किया है कि दिनांक 22.01.2020 को समय करीब डेढ बजे उसका पुत्र ओमेश अपनी चाची सुरज्ञान मोटरसाइकिल से कपड़े लेने के लिये केकड़ी आ रहे थे। मोटरसाइकिल के नम्बर आर जे 48 एससी 0514 थी, जो उसके नाम थी। जब वे शेषपुरा गांव के पास पहुंचे तो पानी की नाडी के पास सामने से एक ट्रक वाला रोंग साइड से आया तब उसके पुत्र ने मोटरसाइकिल सड़क से नीचे उतार ली, जिससे पीछे बैठी सुरज्ञान नीचे गिर गई, जिससे उपर से ट्रक वाला उसे रौंदता हुआ निकल गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक के नम्बर आर जे 06 जी 5584 थे। ट्रक के चालक का नाम रघुनाथ था। उक्त दुर्घटना ट्रक चालक की गलती से हुई। उसके पुत्र के पास फोन आया तब उसे प्रकरण की घटना के बारे में जानकारी हुई। बचाव पक्ष की जिरह में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि जिस समय दुर्घटना हुई तब वह कादेड़ा में था। उसे सूचना मिलने पर ही वह आ गया था। वह उक्त ट्रक के नम्बर व ट्रक चालक का नाम वहां पर खड़े लोगों के बताये अनुसार बता रहा है। वह रघुनाथ को नहीं जानता।

11. गवाह पी.ड. 07 शिवकुमार ने अपने बयानों में कथन किया है कि वह ट्रक संख्या आर जे 06 जी 5584 का स्वामी है एवं दिनांक 22.01.202 को सड़क दुर्घटना के संबंध में पुलिस ने उक्त वाहन को जब्त किया था। जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 08 एवं 133 एम वी एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी 09 है। वह नहीं बता सकता कि घटना के समय वाहन को कौन चला रहा था। अभियोजन

अधिकारी ने उक्त गवाह को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन अधिकारी की जिरह में गवाह ने कथन किया है कि वह रघुनाथ को जानता है, जो उसका ड्राईवर है पर उसके पास तीन–चार गाड़ियां है, जिसमें से किसका ड्राईवर है, वह नहीं बता सकता। बचाव पक्ष की जिरह में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि दुर्घटना के समय वह मौके पर नहीं था। यह उसकी जानकारी में नहीं रहती है कि किस गाड़ी पर कौनसा चालक रहता है, यह मुनीम देखता है। यह कहना सही है कि पुलिस ने उसके खाली कागज पर हस्ताक्षर कराये थे।

12. गवाह पी.ड. 08 हजारी लाल ने अपने बयानों में कथन किया है कि दिनांक 22.01.2020 को थाना केकड़ी पर एएसआई के पद पर रहने के दौरान एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 मोर्चरी कादेड़ा में ओमेश कुमार द्वारा पेश करने पर उस पर रिपोर्ट दर्ज की एवं मु.नं. 25/20 में दर्ज कर तफतीश स्वयं के जिम्मे ली एवं चाक एफआईआर प्रदर्श पी 14 दर्ज की गई। दौराने अनुसंधान गवाहान ओमेश, कैलाशचंद, महेश, अब्दुल सत्तार, रमेश, सुरेश, शिवकुार के बयान लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये गये एवं घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 मुर्तिब किया गया। दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल का निरीक्षण कर फर्द प्रदर्श पी 11 शामिल पत्रावली की गई। वाहन स्वामी शिवकुमार को धारा 133 एमवीएक्ट का नोटिस प्रदर्श पी 09 दिया गया। रघुनाथ सिंह को दिया गया नोटिस प्रदर्श पी 15 है। फर्द जब्ती मोटरसाइकिल प्रदर्श पी 08 एवं मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी 16 है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतका सुरज्ञान प्रदर्श पी 17 है एवं लाश का पंचायतनामा प्रदर्श पी 03 कराया जाकर लाश सुपुर्द की जो प्रदर्श पी 04 है। कार्यवाही के संबंध में जाब्ते की रवानगी व आमद की रोजनामचे की प्रति प्रदर्श पी प्रदर्श पी 18 एवं 19 है। वाहन की आरसी प्रदर्श पी 20, इंश्योरेंस प्रदर्श पी 22, परमिट प्रदर्श पी 23, वाहन के कागजात प्रदर्श पी 24, डी.एल. प्रदर्श पी 25, ओमेश का डीएल प्रदर्श पी 26 पेश कर प्रदर्शित कराये गये। बचाव पक्ष की जिरह में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि किसी भी व्यक्ति ने घटना के समय अभियुक्त रघुनाथ सिंह के वाहन चलाते हुए देखे जाने की पुष्टि नहीं की थी।

13. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण का परिवादी गवाह पी.ड. 01 ओमेश कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 22.01.2020 को समय दिन के करीब डेढ़ बजे उसकी काकी सुरज्ञान के साथ मोटरसाइकिल पर जाने एवं तलाई के पास पहुंचने पर सामने से ट्रक संख्या आर जे 06 जी 5584 के चालक द्वारा वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाने एवं उसके द्वारा मोटरसाइकिल के रोंग साइड में आकर सामने से टक्कर मारने से मोटरसाइकिल के एक साइड में गिरने एवं उसकी चाची के गिरने से ट्रक चालक द्वारा उसकी चाची को कुचलने एवं उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाने बाबत कथन किया है। उक्त गवाह द्वारा ट्रक चालक का नाम रघुनाथ होने का कथन किया है परंतु जब न्यायालय में उक्त परिवादी के समक्ष अभियुक्त की शिनाख्तगी करवाई गई तो परिवादी द्वारा अभियुक्त रघुनाथ को नहीं पहचाना गया। बचाव पक्ष की जिरह में भी उक्त गवाह द्वारा इस कथन को सही बताया है कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई, वह यह नहीं बता सकता। इस प्रकार उक्त गवाह द्वारा न तो हाजिर अदालत मुलजिम की पहचान की गई है और न ही यह बताने में असमर्थ है कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई है।

14. इसी प्रकार घटना के चश्मदीद गवाह पी.ड. 03 कमलेश एवं पी.ड. 04 अब्दुल सत्तार ने हालांकि ट्रक संख्या आर जे 06 जी 5584 के चालक द्वारा उक्त दुर्घटना कारित करने एवं दुर्घटना में सुरज्ञान की मृत्यु हो जाने बाबत साक्ष्य दी है कि एवं दुर्घटना उनके सामने होने बाबत कथन किया है किंतु उक्त गवाहों द्वारा भी आरोपित वाहन के चालक की पहचान स्थापित नहीं की है। उक्त गवाहों द्वारा भी ट्रक चालक अभियुक्त रघुनाथ सिंह को नहीं देखे जाने का कथन किया है एवं अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त गवाहों को पक्षद्रोही भी घोषित किया है।

15. अन्य गवाह पी.ड. 02 महेश कुमार, जो कि मृतका सुरज्ञान का पति है एवं गवाह पी.ड. 06 कैलााशचंद जो कि गवाह ओमेश का पिता है, उक्त गवाह मौके के गवाह नहीं है। उक्त गवाहों द्वारा उक्त घटना की पुष्टि करते हुए ट्रक संख्या आर जे 06 जी 5584 के चालक द्वारा वाहन को तेजगति एवं

लापरवाही से चलाते हुए आने पर ओमेश द्वारा मोटरसाइकिल को साइड में करने एवं उस दौरान सुरज्ञान के नीचे गिर जाने एवं उसी समय ट्रक चालक द्वारा उसके उपर से गुजर जाने से सुरज्ञान की मृत्यु हो जाने बाबत साक्ष्य दी है। इस प्रकार उक्त गवाहों की साक्ष्य एवं परिवादी पी.ड. 01 ओमेश कुमार की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभासी कथन सामने आये हैं। एक तरफ तो परिवादी ओमेश द्वारा ट्रक द्वारा उसकी मोटरसाइकिल के टक्कर मारने से उक्त दुर्घटना होने बाबत साक्ष्य दी है और एक तरफ उक्त गवाहों पी.ड. 02 महेश कुमार एवं पी.ड. 06 कैलाशचंद द्वारा अपनी साक्ष्य में परिवादी ओमेश का मोटरसाइकिल को साइड में करते समय सुरज्ञान के गिर जाने एवं उस पर से ट्रक गुजरने से उसकी मृत्यु होने बाबत कथन किया है। इस प्रकार उक्त गवाहों की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभासी कथन सामने आये हैं। हालांकि उक्त गवाहों ने बचाव पक्ष की जिरह में घटना के समय स्वयं के उपस्थित नहीं होने से यह नहीं बता सकता है कि उक्त दुर्घटना किसकी गलती से हुई। उक्त गवाहों द्वारा रघुनाथ सिंह को नहीं जानने का कथन भी किया गया है। गवाह पी.ड 05 सुरेश को अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। उक्त गवाह द्वारा भी स्वयं के मौके पर नहीं होने एवं आरोपित ट्रक का चालक कौन था, इस बाबत कोई पहचान स्थापित नहीं की है।

16. गवाह पी.ड. 07 शिवकुमार जो कि आरोपित ट्रक का स्वामी है ने धारा 133 एम.वी.एक्ट के नोटिस प्रदर्श पी 08 का सी से डी जवाब उसका नहीं होने बाबत कथन किया है, जो कि वक्त दुर्घटना अभियुक्त रघुनाथ के उक्त आरोपित ट्रक को चलाने के संबंध में है। इस प्रकार उक्त गवाह द्वारा धारा 133 एमवीएक्ट के नोटिस की पुष्टि अपनी साक्ष्य में नहीं की है। उक्त गवाह को अभियोजन अधिकारी ने पक्षद्रोही साबित किया है। गवाह पी.ड. 08 हजारीलाल प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी है, जिसने अपनी साक्ष्य में बाद अनुसंधान अभियुक्त रघुनाथ पर आरोप बनना साबित पाया है, जिन्होंने जिरह में यह स्वीकार किया कि घटना के समय अभियुक्त रघुनाथ सिंह को वाहन चालते हुए देखे जाने की पुष्टि किसी गवाह द्वारा नहीं की गई है। इस प्रकार स्वयं परिवादी एवं अन्य गवाहों द्वारा चालक की पहचान नहीं किया जाना अभियोजन के पक्ष को कमजोर करता है। न्यायालय के विचार में, यद्यपि

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि दिनांक 22.01.2020 को ट्रक संख्या आर जे 06 जी 5584 से दुर्घटना हुई और उसमें सुरज्ञान की मृत्यु कारित हुई, किंतु अभियुक्त को दोषी सिद्ध करने के लिए केवल "मृत्यु का होना" पर्याप्त नहीं है। अभियोजन पक्ष को यह संदेह से परे सिद्ध करना अनिवार्य था कि अभियुक्त ही वह चालक था जिसने "घोर लापरवाही और उपेक्षा" से वाहन चलाया था। वर्तमान मामले में, चश्मदीद गवाहान दुर्घटना कारित करने वाले चालक की पहचान करने में पूर्णतः विफल रहे हैं।

17. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहों की साक्ष्य से यह तो साबित होता है कि दुर्घटना में आरोपित वाहन ट्रक से हुई दुर्घटना में सुरज्ञान की मृत्यु हो गई थी किंतु वक्त दुर्घटना आरोपित वाहन ट्रक को अभियुक्त रघुनाथ तेजगति एवं लापरवाही से चला रहा हो, जिससे उक्त दुर्घटना कारित हुई हो, साबित नहीं होता है। ऐसे में अभियेाजन पक्ष उक्त तथ्य को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है, जिसके आधार पर अभियुक्त को अपराध धारा 279, 304 ए भारतीय दंड संहिता के तहत संदेह के अभाव में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

18. अतः अभियुक्त रघुनाथ सिंह पुत्र सरवर सिंह निवासी भराई पुलिस थाना केकड़ी जिला अजमेर को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304 ए भारतीय दंड संहिता के तहत सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत एवं मुचलके अंतर्गत धारा 437 क दण्ड प्रक्रिया संहिता आगामी छः माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

रमेश कुमार करोल, आर.जे.एस.
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–1
केकड़ी, जिला–अजमेर

19. निर्णय आज **दिनांक 25 मार्च 2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

रमेश कुमार करोल, आर.जे.एस.
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–1
केकड़ी, जिला–अजमेर